

वार्षिक रिपोर्ट - Annual Report

2016-17



आपकी बैंकिंग जरूरतों के प्रति सदैव संवेदनशील
Always Responsive to Your Banking Needs



प्रधानमंत्री
मुद्रा
योजना



एक कदम स्वच्छता की ओर



Pradhan Mantri
Jeevan Jyoti Bima Yojana



Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojana



Atal
Pension
Yojana

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.
Chairman & Managing Director
Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.



कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन
Executive Director
Sh. Mukesh Kumar Jain



कार्यकारी निदेशक
श्री फरीद अहमद
Executive Director
Sh. Fareed Ahmed



श्री एस.आर. मेहर
Sh. S.R. Mehar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री एम.एस. सारंग
Sh. M.S. Sarang



श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta



श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen

विषय—सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4-25
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	26-45
5. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	46-89
6. व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	90-113
7. बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	114-189
8. वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	190-193
तुलन-पत्र / Balance Sheet	194-195
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	194-197
अनुसूचियाँ / Schedules	198-261
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	262-265
9. घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा) / नामांकन फार्म Format of Declaration (By Candidate) Nomination Form	266-273
10. प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	274-275
11. उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	276-277

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2017 को / As on 31.03.2017

1. जमा Deposits	8554016
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6026309
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2492813
4. सकल निवेश Gross Investments	2799761
5. परिचालन लाभ Operating Profit	124188
6. शुद्ध लाभ Net Profit	20108
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.20%
8. भुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	7.51 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.57%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.05%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

Chairman & Managing Director

Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक

श्री मुकेश कुमार जैन

Executive Director

Sh. Mukesh Kumar Jain

कार्यकारी निदेशक

श्री फरीद अहमद

Executive Director

Sh. Fareed Ahmed

निदेशक / Directors

श्री एस.आर. मेहर

Sh. S.R. Mehar

श्री प्रदीप्त के. जेना

Sh. Pradipta K. Jena

श्री अतनु सेन

Sh. Atanu Sen

श्री एम.एस. सारंग

Sh. M.S. Sarang

श्री सुखेन पाल बबूता

Sh. Sukhen Pal Babuta

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एम.जी. श्रीवास्तव

Sh. M.G. Srivastava

श्री दीपक मैनी

Sh. Deepak Maini

श्री जी.एस. डल्ल

Sh. G.S. Dhall

श्री डी.डी. शर्मा

Sh. D.D. Sharma

श्री वीरेन्द्र गुप्ता

Sh. Varinder Gupta

श्री जी.एस. नारंग(प्रतिनियुक्ति पर)

Sh. G.S. Narang (On Deputation)

श्री एस.सी. क्वात्रा

Sh. S.C. Kwatra

श्री आर. के. बंसल

Sh. R.K. Bansal

श्री जी.एस. धिंगरा

Sh. G.S. Dhingra

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएट्स

M/s Tiwari & Associates

मैसर्स धिल्लों एण्ड एसोशिएट्स

M/s Dhillon & Associates

मैसर्स धवन एण्ड कं.

M/S Dhawan & Co.

मैसर्स दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

M/S Davinder Pal Singh & Co.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21—राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

www.psbindia.com**नोटिस**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40—मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली—110003 में बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों पर विचार—विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण अर्थात् बैंक का 31 मार्च, 2017 के लेखा परीक्षित तुलन—पत्र, और लाभ—हानि लेखों, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन—पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

2. केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा (9)(3)(i), बैंककारी नियामक अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980 (जोकि "योजना" के नाम से जानी जाएगी) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 (जोकि "अधिनियमों" के रूप में जाने जाएंगे) नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 सं. डीबीओडी. नं. बीसीनं. 46/29.39.001/2007-08 की अधिसूचना (जोकि "आरबीआई अधिसूचना" के नाम से जानी जाएगी) के तहत वैध नामांकन प्राप्त किए गए और निम्न प्रस्ताव पारित किया गया:

"निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में अधिनियम की धारा (9) (3) (i), योजना के रूप में पढ़ा गया एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, के तहत 01 जुलाई, 2017 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, बैठक की तिथि से अगली तिथि और इस तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कार्यभार ग्रहण करेंगे"।

एतद् द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 23.06.2017 से 29.06.2017 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, बंद रहेगी।

बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान करने/ई—मतदान करने और सहभागिता करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए बृहस्पतिवार, अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 22 जून, 2017 निर्धारित की है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2017

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 29th June, 2017 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003, to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with The Banking Regulations Act, 1949 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 made pursuant to Section 19 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Notification No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 issued by Reserve Bank of India and to pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from July 01, 2017 and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.”

Notice is also hereby given that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from 23.06.2017 to 29.06.2017 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

Further, the Bank has fixed Thursday June 22, 2017 as ‘Cut-off’ Date for ascertaining the shareholders who will be entitled for voting/e-voting and attending AGM.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 18 May, 2017

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक विवरण

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 2 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्न दिया गया है।

मद संख्या 2 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2017 को बैंक की प्रदत्त ईक्वटी शेयर पूंजी रु. 400.41 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार की 79.62% तथा अन्य के पास 20.38% की धारिता है। धारा 9(3)(i) के पैरा (ii) के प्रावधान के अनुसार, बैंक को निदेशक मंडल में शेयरधारकों के अपने बीच में से चुने गए दो शेयरधारक निदेशक रखने अनिवार्य हैं। दिनांक 30.06.2014 को शेयरधारकों के मध्य से तीन वर्ष की अवधि हेतु चुने गए दो निदेशक अपना कार्यकाल दिनांक 30.06.2017 को पूर्ण कर लेंगे।

निदेशक मंडल ने दिनांक 29.03.2017 की अपनी बैठक में शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया के तहत नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक जो चुना जाएगा, चुने जाने की दिनांक से कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा, दिनांक 01.07.2017 से तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुबंध-डी) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.06.2017 (शनिवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा पंजीकृत है।

3. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24.06.2017 (शनिवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

4. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2017 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 2

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, inter alia, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2017 was Rs. 400.41 crore of which 79.62% is held by the Govt. of India while 20.38% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 30.06.2014 from amongst the shareholders, for a period of three years, are completing their term on 30.06.2017.

Accordingly, the Board of Directors in their meeting dated 29.03.2017 has decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from 01.07.2017 and will hold office for a period of three years.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'D') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2017 (Saturday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2017 (Saturday).

4. **REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 29.06.2017, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुबंध 'E') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सीक या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात् होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

5. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्र-व्यवहार

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट-पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, कम्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नजदीक पी.वी.आर. नारायणा, नई दिल्ली-110028.

फोन: 011-41410592, 41410593, ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में है, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपोजिटरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें।

6. लाभांश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश को घोषित करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्डों को बैंक पूर्ण नहीं करता है, निदेशक मण्डल ने वर्ष 2016-17 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

7. डाक पते में परिवर्तन

क. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते तथा बैंक विवरण में कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित सहभागी डिपोजिटरी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

ख. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर(उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य उल्लेख करें।

8. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए उक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

9. फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

10. शेयर धारकों से अनुरोध

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएँ। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई है, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या दिनांक 23.06.2017 तक complianceofficer@psb.co.in पर ई-मेल करें।